नेशनल मिशन ऑन ऑइलसीड्स एवं ऑइलपॉम अन्तर्गत

वृक्ष जनित तिलहनों की खेती के क्षेत्र विस्तार योजना के दिशा–निर्देश एवं लक्ष्य

राज्य में भारत सरकार द्वारा एनएमओओपी के अन्तर्गत मिनी मिशन ऑन टी.बी.ओ.एस (ट्रीबोर्न ऑइल सीड्स /वृक्ष जनित तिलहन) लागू किया है। राजस्थान में परम्परागत फसलो के साथ साथ फसल विविधिकरण में अन्य व्यवसायिक फसलों के विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है। इसमें क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायुवीय स्थितियों में तुलनात्मक रूप से उपयुक्त एवं संभावना वाली फसलों के वर्तमान एवं भविष्य में मांग को देखते हुए सघन रूप में बढ़ावा दिये जाने के प्रयास किये जा रहे है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह मिशन काफी हद तक सहयोगी होगा।

राजस्थान में मिनी मिशन–III में नीम, करंज, जोजोबा, महूआ, जेट्रॉफा वृक्ष सम्मिलित है। एन.एम.ओ.ओ.पी. के अन्तर्गत वृक्ष जनित तिलहनों के उत्पादन के लिए विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्वयन सहायता/अनुदान,प्रावधान के अनुसार दिशा–निर्देश निम्नानुसार है।

चयन हेतु पात्रता एवं आवंटन क्षेत्र :–

1. कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिलेवार आंवटित लक्ष्यों के अनुसार किया जावें।
2. मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन यथासभंव सघन क्लस्टर के रूप में किया जावें। इसके लिये कृषकों का चयन यथासम्भव समूह के रूप में किया जावें।
3. मिशन गतिविधियों में सहायता/अनुदान के प्रावधान का कृषकों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें। तथा इस हेतु आंवटित कृषक प्रशिक्षणों का गम्भीरता से आयोजन किया जावें।
4. मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कृषक/ लाभार्थी चयन में आधुनिक हाई–टेक फसल उत्पादन तकनीक एवं ड्रिप संयंत्र पद्धति आदि अपनाने के इच्छुक कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
5. मिशन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं को जोड़कर रखा जावें।
6. मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान/ सहायता हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के उप निदेशक कृषि (विस्तार)/ उपनिदेशक उद्यान/ सहायक निदेशक उद्यान/ सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने होंगे।
7. मिशन में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भारत सरकार के निर्देशानुसार 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किये जाने की सुनिश्चित्ता करावें।
8. मिशन में सभी कार्यक्रम/ गतिविधियों के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में प्राप्त करने होंगे।
9. मिशन के क्रियान्वयन में सहयोग के लिये कृषि विश्वविद्यालय, बायोफ्यूल ऑथोरिटी एवं एजोर्प से सम्पर्क किया जावें। बायोफ्यूवल ऑथोरिटी के न. 9461164426 आर.ओ.सी.एल. के न. 0141–2554106 एजोर्प के न. 9929606427 एवं तकनिकी जानकारी के लिये महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एवं तकनीकी

२।६

विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉ.पी.सी.चपलोत के मो.न. 9414497656 से सम्पर्क कर सकते है।

10. वर्तमान में यह कार्यक्रम वृक्ष जनित तिलहनों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं एजोर्प (जोजोबा) तथा बायोफ्यूल ऑथोरिटी (अन्य सभी) के माध्यम से संचालित होगा। आवंटन सम्बन्धित संस्थाओं को लक्ष्यानुसार किया जा चुका है। (सारणी–3)
11. सांसद ग्राम योजना के अन्तर्गत गोद लिए गए गॉवों को प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित करें।

मिशन के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी। इसके लिये लाभार्थी को कानून में निर्धारित किये अनुसार उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिला स्तर पर उपनिदेशक कृषि (वि.) प्रभावी समीक्षा हेतु नोडल ऑफिसर मनोनीत किये जाते है।

अनुदानः–नेशनल मिशन ऑन ऑइलसीड्स एवं ऑइलपॉम अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान देय है –

1. पौधरोपण पर अनुदान–नर्सरी एवं वृक्षारोपण के समन्वित विकास(Integrated development of nurseries & plantation) के लिये अधिकतम कीमत का 100 प्रतिशत अथवा निम्न सारणी के अनुसार जो भी कम हो अनुदान देय हैः–

सारणी–1

क्र. स.	वृक्ष का नाम	वृक्षों की संख्या / प्रति है0	वृक्षारोपण की कीमत प्रति है0 (राशि रू0)
1	नीम	400	17,000
2	जोजोबा *	1513	35,000
3	करंज	500	20,000
4	महुआ	200	15,000

*ड्रिप संयत्र के लिये निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार देय होगी।

* जोजोबा के 1513 पौधों (250 बीजू पौधे एवं 25 पौधे बीजू गैपफिलिंग तथा 1125 मादा पौधे रूटेड कटिंग एवं 113 पौधे मादा रूटेड कटिंग गैपफिलिंग, कुल 1513 पौधे) में नर, मादा एवं गैपफिलिंग के पौधे सम्मिलित हैं।

2. संधारण पर अनुदान –वृक्ष जनित तिलहनों के संधारण हेतु निम्न सारणी के अनुसार प्रति वर्ष अनुदान देय होगा :–

सारणी–2

क्र. स.	वृक्ष का नाम	गेस्टेशन पिरीयड(वर्ष)	गेस्टेशन पिरीयड के दौरान संधारण हेतु प्रति हेक्टेयर / प्रतिवर्ष देय (राशि रू0) में
1	नीम	5	2000
2	जोजोबा	4	3200
3	करंज	4	2000
4	महुआ	8	2000

216

3. वृक्ष जनित तिलहनों के साथ अन्तर शस्य क्रियाओं हेतु अनुदान–मिनीमिशन–III के अन्तर्गत लगाए गए वृक्ष जनित तिलहनों से उत्पादन शुरू होने तक (Gestation Period) खाद्य फसलों की अन्तर शस्य हेतु 1000/– रूपये प्रति हैक्टेयर महत्वपूर्ण आदानों पर **(पौधो की पुष्प अवस्था तक)** अनुदान देय होगा।

अनुदान प्रकिया–

अ. पौधों/वृक्षों पर अनुदान :–

1. कृषक से आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्राप्त किये जायेंगें –
   - निर्धारित आवेदन प्रपत्र मय फोटो। (संलग्न परिशिष्ट – 1)
   - भूमि की जमाबंदी/पासबुक की नवीनतम प्रति (छः माह से अधिक पुरानी ना हो) इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त जमाबंदी भी कृषक के सत्यापन के पश्चात् मान्य होगी।
   - भूमि एवं पानी विश्लेषण रिर्पोट (नहरी पानी से सिंचाई की स्थिति में पानी विश्लेषण की रिर्पोट आवश्यक नहीं है)।
   - घोषणा पत्र सादे कागज पर। (संलग्न परिशिष्ट–2)
   - कृषक हिस्सा राशि।
2. जिला कार्यालय उक्त आवेदन पत्रो के अनुसार कृषको का चयन कर सूची मय आवेदन पत्र **बायोफ्यूल ऑथोरिटी एवं एजोर्प कार्यालय** को प्रेषित करेगें।
3. **जिला स्तर पर कृषक हिस्सा राशि प्राप्त की जावें। बायोफ्यूल प्लांट्स के लिये बायोफ्यूल ऑथोरिटी, तिलक मार्ग, जयपुर एवं जोजोबा के लिए एजोर्प, जयपुर को भुगतान किया जावें।**
4. प्रति कृषक अनुदान दिए जाने हेतु अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
5. सभी श्रेणी के किसानों को नये पौधरोपण पर नियमानुसार अनुदान देय है।
6. अनुदान राशि की गणना वृक्ष प्रति हेक्टेयर के आधार पर की जायेगी।
7. जोजोबा के पौधे एजोर्प, जयपुर के माध्यम से तथा नीम, करंज एवं महुआ के पौधे वन विभाग के माध्यम से अथवा विभाग द्वारा पंजीकृत नर्सरियों से उपलब्ध कराये जायेंगे।
8. सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता पड़ने पर अनुमोदित प्रावधानुसार ड्रीप संयत्र के लिये अतिरिक्त सहायता देय होगी (जोजोबा) के लिये। जिसके लिये अनुदान उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार दिया जावेगा। इस हेतु कृषक पृथक से ड्रिप संयत्र स्थापना हेतु पत्रावली उद्यान विभाग के संबधित कार्यालय में प्रेषित कर अनुदान प्राप्त करेगें। इस हेतु उद्यान विभाग को अनुरोध किया गया है कि टी.बी.ओ.एस. के प्रकरण में प्राथमिकता पर अनुदान उपलब्ध कराया जावें।

२१७

ब. संधारण पर अनुदानः—

इस क्रम में टी.बी.ओ.एस पर प्रति हेक्टेयर उपलब्ध करवायी जाने वाली राशि के अनुदान के दिशा—निर्देश निम्न प्रकार से प्रस्तावित है —

क्र. स.	अनुदान राशि	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चुर्तथ वर्ष
1	पौधे लगाने के बाद संधारण पर होने वाले व्यय के पेटे राशि सारणी 2 के अनुसार प्रति वर्ष का अनुदान देय होगा।	पौधे लगाने के द्वितीय वर्ष 75 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में कृषकों को डिमांड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से)	(90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से)	(90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से)

वृक्षो का निरीक्षण कृषि विभाग / बायोफ्यूवल ऑथोरिटी / एजोर्प के कार्मिकों द्वारा किया जावेंगा।

इस कार्यक्रम के क्रियान्यवन हेतु संबधित जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार) नोडल अधिकारी होगें।

स. अन्तर शष्य पर अनुदान :—

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाए गए वृक्ष जनित तिलहनों से उत्पादन शुरू होने तक (Gestation Period) दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलें अन्तर शष्य के रूप में उगाए जाने की पुष्टि पर 1000 / — रूपये प्रति हैक्टेयर महत्वपूर्ण आदानों पर (पौधो की पुष्प अवस्था तक) अनुदान देय है। अन्तर शष्य किए जाने की पुष्टि सहायक कृषि अधिकारी अथवा कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा। यह अनुदान उसी स्थिति में देय होगा जबकि अन्तर शष्य की जा रही है एवं पौधों की आयु के आधार पर आवश्यक प्रतिशत पौधे जीवित होने की शर्त पूरी की जाती है। अनुदान की राशि कृषकों को डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलैक्ट्रोनिक मनी ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावेगी।

२१७

NMOOP-MM-III

भौतिक लक्ष्य (वर्ष 2015–16) (है0)   सारणी–3

TBOs जिला/Targets	Jojoba Target	Neem Target	Karanj Target	Mahua Target
श्रीगंगानगर	25			
बीकानेर	25			
नागौर	5	5		
चूरू	5			
हनुमानगढ	5			
टोंक		5	10	
जोधपुर	5	5		
जैसलमेर	5			
झुंझूनू	15			
उदयपुर				
डूंगरपुर				10
राजसमंद		5		10
चित्तौडगड		5		10
बांसवाडा				10
सीकर	10			
अलवर			5	
जयपुर		5	10	
भरतपुर			5	
दौसा			5	
धौलपुर			5	
करौली			5	
सवाई माधोपुर			5	
पाली		5		
सिरोही		5		
अजमेर		5		
बाडमेर		5		
प्रतापगढ				10
योग	100	50	50	50

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों की भागीदारी कमशः 17 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत सुनिश्चित करें तथा प्रगति रिपोर्ट में इन किसानों की संख्या पृथक से अंकित करें। (संलग्न परिशिष्ट–4)

<u>वित्तीय प्रगति प्रक्रिया</u> :–

1. विभिन्न वृक्ष जनित तिलहनों के क्षेत्र विस्तार हेतु सम्बन्धित वृक्ष की Expert संस्थाओं को Fund Transfer कर दिया गया है तथा किसानों को अनुदानित दर पर इन संस्थाओं द्वारा ही पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे।
2. जोजोबा के लिए एजोर्प को, जैट्रोफा, नीम, करंज एवं महुआ के लिए Biofuel Authority को बजट उपलब्ध कराया जायेगा।
3. चयनित जिलों से प्राप्त मांग के आधार पर की गई भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर आवंटित बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था द्वारा दिया जायेगा तथा इसके सम्बन्ध में की जाने वाली ऑडिट की भी पूर्ण जिम्मेदारी इन संस्थाओं की ही होगी।
4. इन संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न परिशिष्ट–3 के अनुसार प्रेषित किया जायेगा, का जिसका संकलन कर भारत सरकार को Consolidated Utilization Certificate भिजवाने का दायित्व एन.एम.ओ.ओ.पी. शाखा का होगा।
5. वृक्ष जनित तिलहनों के क्षेत्र विस्तार की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ट–5 के अनुसार सम्बन्धित संस्थाओं के माध्यम से त्रैमासिक आधार पर भिजवायी जावेगी।

परिशिष्ट–1

राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपॉम मिशन अन्तर्गत पौध रोपण सामग्री प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र

उप निदेशक कृषि (विस्तार),
जिला परिषद,
सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
....

कृषक का फोटो

विषय : राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपॉम मिशन अन्तर्गत पौध रोपण के लिए अनुदानित दर पर पौध रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के क्रम में।

महोदय,

मैं/हम राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपॉम मिशन अन्तर्गत अपने खेत पर वृक्ष जनित तिलहनों के पौध रोपण हेतु टिश्यू कल्चर/वेजिटेटिव प्रपोगेशन से उत्पादित सैकेण्डरी हार्डन्ड पौध रोपण सामग्री/सामान्य विधि से उत्पादित पौध रोपण सामग्री अनुदानित दर पर प्राप्त करना चाहते है। पौध रोपण से संबंधित विवरण निम्नानुसार है–

1. कृषक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जिले का नाम :
4. पूर्ण पता :
5. कृषक के नाम भूमि का विवरण : सिंचित क्षेत्र (है.) .... असिंचित क्षेत्र (है.) ....
6. ....पौध रोपण का क्षेत्रफल : क्षेत्रफल (है.) .... खसरा नं. ....
7. .... के पौधों की संख्या :
8. सिंचाई का स्रोत एवं साधन :
9. मिट्टी व पानी की जाँच रिपोर्ट :

मैं/हम उक्त अनुसार .... पौध रोपण सामग्री को विभागीय सिफारिश अनुसार लगाने पर सहमत है। इसके लिये वांछित दस्तावेज योजना दिशा–निर्देशानुसार आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे है।

दिनांकः

हस्ताक्षर कृषक
मो./फोन नं.

परिशिष्ट–2

शपथ–पत्र

मैं/हम श्री ....पुत्र
श्री .... ग्राम ....तहसील
..........................., जिला .... राजस्थान के निवासी है।

मैं/हम राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपॉम मिशन अन्तर्गत के पौध रोपण के लिये टिश्यू कल्चर/वेजिटेटिव प्रपोगेशन से उत्पादित सैकेण्डरी हार्डनिंग किये हुये पौधें/ सामान्य विधि से उत्पादित पौधे अनुदानित दर पर प्राप्त कर पौध रोपण हेतु शपथपूर्वक घोषणा करते है कि–

1. यह है कि मैं/हम .... की पौध रोपण सामग्री को हमारे स्वयं के नाम भू–स्वामित्व वाली जमीन में रोपित करेंगे।
2. यह है कि मैं/हम ....पौध रोपण से संबंधित समय–समय पर आयोजित होने वाले कृषक प्रशिक्षण/अन्य कार्यक्रमों में समय–समय पर निर्देशानुसार उपस्थित होते रहेंगे।
3. यह है कि मेरे/हमारे पास .... पौध रोपण हेतु सुनिश्चित सिंचाई का स्रोत एवं साधन उपलब्ध है।
4. यह है कि मैं/हम ....पौध रोपण के लिये दिशानिर्देशानुसार देय अनुदान के अतिरिक्त आवश्यक कृषक हिस्सा राशि जमा कराने पर सहमत है। इसके साथ ही बूंद–बूंद सिंचाई संयंत्र लगाये जाने के लिये कृषक हिस्सा राशि हेतु वांछित अग्रिम जमा कराने पर भी सहमत है।
5. यह है कि मैं/हम .... पौध रोपण हेतु पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी कृषण क्रियायें हमारे स्वयं के स्तर से करने पर सहमत है।
6. यह है कि मैं/हम .... पौध रोपण के लिये आवश्यक फैन्सिंग स्वयं के स्तर से करेंगे।
7. यह है कि मेरे/हमारे द्वारा अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी गयी ....की पौध रोपण सामग्री को खेत में रोपित किया जाकर निरन्तर .... वर्ष तक विभागीय सिफारिशानुसार देख–रेख की जायेगी। ऐसा नहीं करने पर पौधों की अनुदानित राशि मय बैंक ब्याज दर के वसूल करने के लिये कृषि विभाग स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

Annexure-3

FORMS
GFR 19
[See Rule 212 (1)]
Form of Utilization Certificate

Department/Agency:

(Amount in lacs)

S.No.	Letter no. and date	Amount
1	No.	
Category	SC	
	ST	
	GEN.	
2	No.	
	SC	
	ST	
	GEN.	
Grand Total		

Certified that out of Rs. .... lacs of grants-in-aid sanctioned during the year 2014-15 in favour of .... under this Commissionerate letter no. given in the margin, the **total funds of RS.--------------- lacs** (---------------- for General,------------------- for SCP ,and ------------- for TSP) as available for the year 2014-15 , a sum of ------------------ **lacs** (------------ for General,------------ for SCP and -------------- for TSP)has been utilized for the purpose of NMOOP-MM-III for which it was sanctioned and that the balance of **Rs.** ------------ **lacs**(-------- for General,------------- for SCP) remained unutilized as on dated ----------------------
.

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

3. It is further certified that **"Expenditure for amount shown as spent in UC has been actually incurred and does not include any committed liability or funds merely transferred to field agencies etc. for implementation of scheme".**

Kinds of checks exercised.

1. Monthly review of expenditure.
2. Field visits

Signature ....

Designation ....

Date ....

मासिक प्रगति रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र

परिशिष्ट –4

(रूपये लाख में)

S. No.	Interventions	Unit	Physical Targets under NMOOP MM-III		Physical Progress				Fin. Prov.	Financial Expenditure			
					Gen.	SCP	TSP	Total	Total	Gen.	SCP	TSP	Total
I.	*Area Expansilon*		Name of Plant	ha.									
(a)	Integrated development of Nurseries & plantation on the new wasteland as well as existing wasteland/degraded forest land.	Ha.	Neem										
			Jojoba										
			Karanja										
			Mahua										
			jatropha										
			Total										

कार्यालय ....

NMOOP-MM-III के तहत बंजर भूमि पर TBOs के पौधा रोपण की प्रगति की सूचना

जिले का नाम : माह.................................. प्रपत्र–1

क्र. सं.	पौधारोपण का स्थान			क्षैत्रफल हैक्ट.	पौधो की संख्या		आवंटित राशि रू.	आज दिनांक तक खर्च की गई राशि रू.	कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	कार्यकारी ऐजेन्सी	लाभार्थियों की सख्यां		
	ग्राम	ग्राम पंचायत	ब्लॉक		रतनजोत	महुआ					SC	ST	GEN
1													
2													

कार्यालय ....

NMOOP-MM-III के तहत बंजर भूमि पर TBOs के पौधा रोपण की प्रगति की सूचना

जिले का नाम : माह.................................. प्रपत्र –2

क्र. सं.	स्थान	कार्य का नाम (रतनजोत / महुआ /करंज/ नीम का पौधा रोपण/घास आदि रोपण)	कार्य में स्वीकृती के क्रमांक व वर्ष	कार्य अवधि	कुल स्वीकृत राशि	कार्यकारी एजेन्सी	पौधे उपलब्ध कराने वाले विभाग/ संस्था का नाम	क्षेत्रफल (हेक्.)	पौधों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद ....